न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 91/2024
दायर दिनांक :– 19.07.2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/132
निर्णय दिनांक :– 28.10.2024

1. बाबू खां पुत्र सोभेखां जाति ढाडी निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. गेनी पत्नी सोभेखां जाति ढाडी निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. कालू खां पुत्र सोभेखां जाति ढाडी निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
4. इस्लाम पुत्र सोभेखां जाति ढाडी निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी

–वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः– 1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादीगण
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि वादीगण के नाम से संयुक्त गैर खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 996/1731 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2076–2079 संलग्न वाद पेश है। उक्त भूमि वादीगण के नाम आवंटन हुई थी ओर उसी दिन मौके पर चलकर वादीगण के पूर्वज ने कब्जा मौके पर प्राप्त कर लिया था। उक्त आवंटन के आधार पर वादीगण के पूर्वज के पक्ष में नामान्तरकरण भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तरकरण में भूमि के पूर्व खातेदार वादीगण के पूर्वज को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। जबकि वादीगण का उक्त भूमि पर आवंटन से लेकर आज दिन तक कब्जा व काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त भूमि पर वादीगण की रहवासी ढाणी, पानी का टांका व पशुओं के बाड़े इत्यादि बने हुवे है जिसमें वादीगण अपने परिवार सहित बार ही मास निवास करते है तथा बरसात के समय मे काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। वर्तमान में वादीगण के पूर्वज फौत हो चुके है और उक्त भूमि जरिये विरासत नामान्तरकरण के वादीगण को प्राप्त हुई है। इसलिये वादीगण ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 996/1731 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि में गैर खातेदारी से खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:21:51 IST
Reason: SelfAttested

वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की [illegible] गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। समन बाद [illegible] संख्या 01 पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी [illegible] सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 996/1731 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि में वादीगण के पूर्वज के नाम आवंटन उक्त भूमि में वादीगण का लगातार कब्जा

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

काश्त है तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू–राजस्व बकाया नहीं होने से गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाता है कोई उजर एतराज नहीं है। चूंकि वादीगण के वाद का प्रतिवादी की तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं होने से पत्रावली में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली बहस में रखी गई।

वकील वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नंबर 996/1731 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में वादीगण के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार चला आ रहा है जो तथ्य तहसीलदार बाप के जवाब से साबित है। इसलिए वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किये जाने के आदेश करवावे।

प्रतिवादी सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 996/1731 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि मे वादीगण के पूर्वज के नाम आवंटन उक्त भूमि मे वादीगण का लगातार कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू–राजस्व बकाया नहीं होने से गैरखातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है।

अधिवक्ता वादीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया जिससे यह साबित है कि उक्त वादग्रस्त भूमि कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 996/1731 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि में वादीगण के पूर्वज के नाम से आवंटन के पश्चात गैर खातेदार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुई। जो वर्तमान में भी वादीगण के नाम से गैर खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि पर वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त है इन तथ्यों को तहसीलदार ने अपने जवाब मे कथन किया है। इसी अनुसार वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 996/1731 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप वादीगण के नाम बकाया राजस्व मांग (यदि हो तो) राजकोष में जमा करवाकर खातेदारी अधिकारों का नामान्तरकरण खोल कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर आदेश की पालना करें। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को लिखवाया ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:21:51 IST
Reason: SelfAttested

(सुखा... पिण्डेल आर ए एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप जिला—फलोदी

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री सुनील पंवार (आर.ए.एस.)

1. बाबू खां पुत्र सोभेखां जाति ढाडी निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. गेनी पत्नी सोभेखां जाति ढाडी निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. कालू खां पुत्र सोभेखां जाति ढाडी निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
4. इस्लाम पुत्र सोभेखां जाति ढाडी निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी

—वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्याः— 91 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिक्री दी जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 996 / 1731 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप वादीगण के नाम बकाया राजस्व मांग (यदि हो तो) राजकोष में जमा करवाकर खातेदारी अधिकारों का नामान्तरकरण खोल कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें। नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.10.224 जारी की गई।

सहायक ...

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)

सहायक कलक्टर

बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	[illegible]	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			[illegible]		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:21:51 IST
Reason: SelfAttested